भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1401
उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026
सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

प्रमुख कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन

1401. श्री राजा राम सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वास्तविक रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी प्रमुख कौशल विकास योजनाओं का कोई परिणाम-आधारित मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्किल इंडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-कार्यात्मक पाए गए या निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में पाए गए प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा क्या है और ऐसे केंद्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उद्योग की मांग बनाम विभिन्न कौशल योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए कौशल का मानचित्रण किया है और यदि हाँ, तो किसी भी बेमेल को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके साथ ही सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। एमएसडीई की योजनाओं के मूल्यांकन में उनके सकारात्मक परिणामों को स्वीकार किया गया है और प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रोजगार या आजीविका सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पीएमकेवीवाई: एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन अक्टूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा किया गया था और अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक

संख्या में नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, आरपीएल घटक के तहत पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: वर्ष 2020 में किए गए जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण से लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी हो गई, जिसमें महिलाओं (79%) और ग्रामीण समुदायों (50.5%) की मजबूत भागीदारी रही। अध्ययन में आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए, जिनमें 73.4% प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर रोजगार, 89.1% के लिए उच्च आय और 85.7% लाभार्थियों का प्रभावी रूप से प्रशिक्षण शामिल है। इसमें यह भी पाया गया कि 77% प्रशिक्षुओं ने नए व्यवसायों की ओर रुख किया, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्वरोजगार पर योजना के मजबूत फोकस को दर्शाता है।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाकर युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार किया है। योजना के नए चरण में, सरकारी हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में पुनर्भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की गई थी।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई पास-आउट में से 63.5% को रोजगार मिला (वेतनभोगी + स्वरोजगार, जिनमें से 6.7% स्वरोजगार हैं)।

(ख) प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से की जाती है। उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों में शामिल अनुपालन न करने वाले प्रशिक्षण भागीदार/प्रशिक्षण केंद्र (टीपी/टीसी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, ब्लैकलिस्ट करना, निलंबन और वित्तीय वसूली सहित सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। दिनांक 31.12.2025 तक, योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कुल 178 प्रशिक्षण केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा, उपस्थिति अभिलेखों में हेराफेरी सहित गंभीर अनियमितताओं से संबंधित मामलों में 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशल की मांग और उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना की पहचान

करके जमीनी स्तर पर कौशल नियोजन को बढ़ावा देना है। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करने के लिए सरकारी कौशल कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) नियमित रूप से कौशल अंतर अध्ययन करती हैं ताकि क्षेत्र-वार कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और योग्यता मानक निर्धारित किए जा सकें। ये मानक, सरकार को कार्यबल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) समर्थित राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन सात उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत, डेटा-आधारित ढांचा प्रदान करता है। यह एमएसडीई को कौशल विकास पहलों को उद्योग की मांग और भविष्य के कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में मदद करता है।

इसके अतिरिक्त, भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने और प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से तैयार किए जाते हैं।

ii. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों और उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भविष्य के लिए तैयार रोजगार भूमिकाओं (जॉब रोल्स) को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, आईटीआई में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की रोजगार भूमिकाओं (जॉब रोल्स) की मांग को पूरा करने के लिए नए जमाने के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है। एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों को उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करनी होती हैं और उद्योग से मान्यता प्राप्त करनी होती है।

iv. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से आईटीआई छात्रों के लिए उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण को मजबूत कर रहा है, और सीएसआर पहलों के तहत आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, एडब्ल्यूएस और

माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर उद्योग के संपर्क और प्रासंगिक कौशल विकास को बढ़ावा दे रहा है।

v. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगार योग्यता कौशल के घटक भी शामिल होते हैं।

vi. एनएपीएस के तहत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

vii. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

viii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता इको सिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

ix. मंत्रिमंडल ने उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल और रोजगार क्षमता (पीएम सेतु) योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें हब (200)-स्पोक (800) मॉडल के माध्यम से 1,000 आईटीआई के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संगठनों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, देश भर में उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है, उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, और उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। एमएसडीई के सहयोग से अन्य मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के कौशल एवं उद्यमिता घटक के साथ-साथ एमएसडीई योजनाओं के अंतर्गत इसकी शुरूआत से दिनांक 15.01.2026 तक आवंटित धनराशि और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	योजना का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)
1.	औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना	91,430	24.63
2.	आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना	88,025	68.39
3.	प्रधानमंत्री वन धन योजना	77,864	44.92
4.	प्रधानमंत्री युवा	62,577	18.15
5.	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	38,391	23.47
6.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)	30,280	2.49
7.	प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम	26,927	75.00
8.	डीसी-एमएसएमई की ईएसडीपी योजना	20,063	3.56
9.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	10,838	42.34
10.	पवित्र शहरों में उद्यमिता विकास पर पायलट परियोजना	8,023	5.00
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में ईडीसी और इनक्यूबेशन केंद्रों (आई सी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन	6,164	5.87
12.	जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमिता का माहौल	5,633	5.07
13.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना	5,000	2.93
14.	वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ)	3,140	8.24
15.	प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना	1,704	1.50
16.	स्वावलंबिनी कार्यक्रम	1,494	0.40
17.	कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन	592	0.37
18.	कैदियों के बीच उद्यमिता विकास	460	1.54
19.	उचित मूल्य दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	315	0.18

*****